भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3027

जिसका उत्तर 04.08.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोशनी की व्यवस्था

3027. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कुलदीप राय शर्मा: :

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर रोशनी की समुचित व्यवस्था करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रात में प्रकाश व्यवस्था के प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है जहां प्रकाश प्रणाली स्थापित की गई है;

(ड.) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेंट्रल मीडियन एलईडी लाइट्स उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य से प्राप्त प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सेंट्रल मीडियन एलईडी लाइट उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं और चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) दिशानिर्देश राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था के प्रावधान को निर्दिष्ट करता है:

i. टोल प्लाजा क्षेत्र

ii. विश्राम क्षेत्र

iii. ट्रक ले बाय

iv. बस बे और बस शेल्टर

v. ग्रेड विभाजक संरचनाएं जैसे इंटरचेंज फ्लाईओवर, अंडरपास (वाहन/पैदल यात्री) और ओवरपास (ऐसे संरचनाओं के ऊपर और नीचे दोनों तरफ)

vi. परियोजना राजमार्गों पर कैरिजवे के मध्य में और दोनों ओर सर्विस रोड पर निर्मित स्थान।

आम तौर पर 4/6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर और हाल ही में विकसित किए जा रहे 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरोक्त स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाती है।

(ड.) महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) निर्मित खंडों और ग्रेड विभाजक संरचनाओं में विभाजित कैरिजवे में मीडियन व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

(छ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने दुर्घटनाओं की संख्या और टक्कर की प्रचंडता कम करने के लिए सड़क इंजीनियरिंग उपायों में सुधार, प्रवर्तन उपायों में वृध्दी, नागरिकों के बीच जागरूकता लाने जैसे अनेक कदम उठाए हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

चोरी और सुरक्षा संबंधी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारों में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) के प्रावधान की परिकल्पना की गई है जिसमें सीसीटीवी/पीटीजेड कैमरों, परिवर्तनीय संदेश संकेतों के प्रावधान हैं। व्हीकल एक्टिवेटेड स्पीड डिस्प्ले सिस्टम, ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लासिफायर, और वीडियो इंसीडेंट डिटेक्शन सिस्टम जो राजमार्ग पर होने वाली घटनाओं की त्वरित पहचान में मदद करते हैं और प्रभावी रूप से राजमार्ग की निगरानी करते हैं, जिससे साइट पर सहायता के प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है।

*****